

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 47 / 2022

(Bank Case)

GCMS NO - 2022/

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सुकेत, जिला- कोटा (राज.) जयें प्राधिकृत अधिकारी अनिल कुमार विजयवर्गीय।
- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री मैसर्स आयशा लाइम सैंड ग्रेनाईट स्टोन प्रो. श्रीमती मुमताज शेख पत्नी श्री शकील मिर्जा
पता- मस्जिद के सामने, जुल्मी रोड, सुकेत, तहसील- रामगंजमंडी, कोटा (राज.)
2. श्री शकील मिर्जा पुत्र श्री अजीज बेग (नकद साख ऋण एवं जी.ई.सी.एल. सावधि ऋण खाते में)
पता- मस्जिद के सामने, जुल्मी रोड, सुकेत, तहसील- रामगंजमंडी, कोटा (राज.)
3. श्री हुजफा मिर्जा पुत्र श्री मिर्जा शफीक (एस.एम.ई. सावधि ऋण खाते में)
ग्राम व पोस्ट- सुकेत, तहसील- रामगंजमंडी, जिला- कोटा 326530

- अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित:-

श्री आर.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 25-04-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सुकेत, जिला- कोटा (राज.) में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.12.2020 को ऋण रुपये 20,00,000/- (अक्षरे: रुपये बीस लाख मात्र), एस.एम.ई. सावधि ऋण खाते में दिनांक 23.03.2017 को ऋण रुपये 15,20,000 (अक्षरे: रुपये पन्द्रह लाख बीस हजार मात्र), जी.ई.सी.एल. सावधि ऋण खाते में दिनांक 06.08.2020 को ऋण रुपये 3,25,000 (अक्षरे: रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र), इस प्रकार समस्थ खातों में कुल रुपये 38,45,000 (अक्षरे: रुपये अड़तीस लाख पतालीस हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्रीमती मुमताज शेख पत्नी श्री शकील मिर्जा की सम्पत्ति खसरा नं. 1274/88, ग्राम व पोस्ट- सुकेत, तहसील- रामगंजमंडी, जिला-कोटा, राजस्थान स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 0.24 हैक्टेयर)। जिसकी चर्तु सीमाएं- पूर्व में अन्य भूमि, पश्चिम में- मुमताज इण्डस्ट्री, उत्तर में- रास्ता एवं भूमि, दक्षिण में- श्री यासीन अजर की सम्पत्ति की सम्पत्ति है, जो जरिये विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 10.12.2015 से मुमताज शेख पत्नी श्री शकील मिर्जा के नाम है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खाता को दिनांक 02.08.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के नकद साख ऋण खाते में रुपये 20,57,532/- (अक्षरे: रुपये बीस लाख सत्तावन हजार पाच सौ बत्तीस मात्र), एस.एम.ई. सावधि ऋण खाते में रुपये 5,42,241/- (अक्षरे: रुपये पाच लाख बियालीस हजार दो सौ इकतालीस मात्र), जी.ई.सी.एल. सावधि ऋण खाते में रुपये 3,25,618/- (अक्षरे: रुपये तीन लाख पच्चीस हजार छ सौ अठारह

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

मात्र), इस प्रकार समस्थ खातों में कुल रूपये 29,25,391 /- (अक्षरे: रूपये उनतीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ इकरानवें मात्र) दिनांक 31.07.2021 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 23.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्णभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को सुना गया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 23.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 23.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधक अचल सम्पत्ति श्रीमती मुमताज शेख पत्नी श्री शकील मिर्जा की सम्पत्ति खसरा नं. 1274/88, ग्राम व पोस्ट- सुकेत, तहसील- रामगंजमंडी, जिला-कोटा, राजस्थान स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 0.24 हैक्टेयर)। जिसकी चर्तु सीमाएं- पूर्व में अन्य भूमि, पश्चिम में- मुमताज इण्डस्ट्री, उत्तर में- रास्ता एवं भूमि, दक्षिण में- श्री यासीन अजर की सम्पत्ति की सम्पत्ति है, जो जरिये विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 10.12.2015 से मुमताज शेख पत्नी श्री शकील मिर्जा के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25.04-2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

